

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जगवारागढ, जिला जयपुर ग्रामीण

कमलेश

बनाम

अरविन्द वगै०

कदमा नं० :- 281 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी बहस प्रा०पत्र धारा 128 एल०आर०एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हों।</p>	
09.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 591/225 रकबा 0.2250 है०, खसरा नम्बर 592/225 रकबा 0.2250 है० वाके ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाड़ी, पटवार हल्का राजपुरवास ताला, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करें।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारागढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की वाके ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाड़ी, पटवार हल्का राजपुरवास ताला, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 591/225 रकबा 0.2250 है०, खसरा नम्बर 592/225 रकबा 0.2250 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पड़ोसी खातेदार आपत्ति करता है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ़्तर हों।</p>	<p>सपखण्ड अधिकारी जमवारागढ, जिला-जयपुर</p> <p>(ललितु अति) कार उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ</p>